(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 38/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 13 सितम्बर, 2018

विषयः वर्ष 2018–19 के लिए प्रशुल्क दर कोटे के तहत यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात का आवंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2019 (1 अक्तूबर, 2018 से 30 सितम्बर, 2019 तक) के लिए यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के तहत निर्यात के लिए गैर–लेवी (मुक्त बिक्री) कोटे में से 8424 मीट्रिक टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) खांड (98 डिग्री पोल पर) का आवंटन करते हैं।

2. अधिसूचना सं० 3/2015–20, दिनांक 20.04.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरुप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन "मुक्त" है।

3. यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात हेतु उदगम प्रमाण–पत्र, यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रुप से निर्धारित अन्य प्रमाणन शर्त यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

4. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पठित अधिसूचना सं. 3/2015–2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथाअधिसूचित रिपोर्टिंग की शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

5. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

टीआरक्यू कोटे के तहत यूएसए को 30.09.2019 तक निर्यात किए जाने के लिए 8424 मीट्रिक टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) खांड की मात्रा अधिसूचित की जाती है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/879/एएम–08/निर्यात सेल/(खण्ड VIII) से जारी)